न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
जमानत आवेदन संख्या–92/2026
शिवहर थाना कांड संख्या–102/2026.
सरकार बनाम् सलमगीर उर्फ छोटु
अंतर्गत धारा–310(4), 310(5) of BNS, & 25 (1-B), a, 26, 35 Arms Act,
सी.एन.आर.नं0–BRS0010014452026

सलमगीर उर्फ छोटु, पिता–मो0 शाहिद, उम्र करीब–32 वर्ष,
साकिन–विश्वम्भरपुर, थाना–तरियानी छपरा, जिला–शिवहर.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता –श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
09.07.2026

दिनांक–09.07.2026 **आदेश**

काराधीन अभियुक्त–सलमगीर उर्फ छोटु, जिन्हें शिवहर थाना कांड संख्या–102/2026, अंतर्गत धारा–**310(4), 310(5) of BNS, & 25 (1-B), a, 26, 35 Arms Act,** के अपराध के संदर्भ में दिनांक–21.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक, श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला फर्दबयान पर आधारित प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि–दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 20:45 बजे सूचक पु0नि0 सह थानाध्यक्ष, शिवहर थाना, रणधीर कुमार सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सुन्दरपुर खरौना में डकैती की घटना कारित करने वाला गिरोह पुनः 04–05 की संख्या में हरनाही शेरहा गाछी में पुनः डकैती की घटना कारित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्राप्त उक्त सूचना का सनहा अंकित करते हुए प्राप्त गुप्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए, प्राप्त सूचना से जिला आसूचना ईकाई शिवहर को अवगत कराते हुए सहयोग हेतु अनुमंडल मोड़ शिवहर पहुँचने हेतु सूचित करते हुए थाना पर उपलब्ध प्राथमिकी में वर्णित पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ पुलिस वाहन से समय करीब 21:05 बजे अनुमंडल मोड़ शिवहर पहुँचे और जिला आसूचना ईकाई, शिवहर के साथ समय करीब 21:30 बजे जैसे ही ग्राम हरनाही शेहरा गाछी में पहुँचे तो देखा कि पहले से इकट्ठा 05 की संख्या में व्यक्ति दिखाई दिये। टीम में शामिल सदस्यों को घेराबंदी करने को निर्देश दिया। पुलिस की घेराबंदी करता देख सभी व्यक्ति भागने लगे, जिनमें से पुलिस कर्मियों के सहयोग से पॉच व्यक्तियों में से चार व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति घने बगीचा एवं अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गये चारों व्यक्तियों से नाम–पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः 01. संजय सहनी, पिता–स्व0 रामगणेश सहनी, 02. दिपक पासवान, पिता सतेन्द्र पासवान, 03. हंशराज कुमार उर्फ निरंजन सहनी, पिता–सुरेन्द्र सहनी एवं 04. दिलीप मांझी, पिता–पंकज मांझी बताये तथा भागने वाले व्यक्तियों का नाम–पता पुछने पर भागे व्यक्ति का नाम 05. सलमगीर उर्फ छोटू, (आवेदक अभियुक्त) पिता–मो0 शाहिद बताये। अत्यधिक रात्रि एवं सुनसान जगह होने के कारण कोई भी स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं हो पाये। साथ आये बल के सदस्यों से स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध करने पर 01. सिपाही/331 मो0 नसीम, 02. सिपाही/500 चंदन कुमार स्वतंत्र साक्षी बनने हेतु तैयार हो गये। तत्पश्चात् तलाशी नियमों का पालन करते हुए पकड़ाये चारों व्यक्ति की बारी–बारी से तलाशी लने पर 01. संजय सहनी के कमर से खोसे हुए एक लोहे का बना देशी कट्टा तथा पैंट के

लगातार/–

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
जमानत आवेदन संख्या–92 / 2026
शिवहर थाना कांड संख्या–102 / 2026.
सरकार बनाम् सलमगीर उर्फ छोटु
अंतर्गत धारा–310(4), 310(5) of BNS, & 25 (1-B), a, 26, 35 Arms Act,
सी.एन.आर.नं0–BRS0010014452026

दिनांक–09.07.2026 **–2–**

बांये पैकेट जेब से ओ0पो0 कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल, जिसमें एयरटेल का सीम लगा तथा पीछे पैकेट से बत्तीस सौ रुपया नगद तथा दाहिने पैकेट से एक जिंदा कारतुस, जिसके पेंदी पर 8MM KF अंकित बरामद, 02. दीपक पासवान (आवेदक अभियुक्त) के कमर से खोसा हुआ एक लोहे का बना देशी कट्टा, जिंस पैंट के बांये जेब से एक सिलवर रंग का टेकनो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल तथा दांये जेब से नगद पैतीस सौ रुपया बरामद, 03. हंशराज कुमार उर्फ निरंजन सहनी के पहने पैंट के बांये जेब से एक जिंदा कारतुस, जिसके पेंदी पर 8MM KF अंकित तथा दांये जेब से AWESOME ITEL कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल एवं बांये जेब से नगद पच्चीस सौ रुपया बरामद, एवं 04. दिलीप मांझी के पहने हुए लुजर पैंट के दांये जेब से गोल्डेन रंग का विभो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल एवं जियो का सीम, बांये जेब से पंद्रह सौ रुपया नगद बरामद हुआ। उक्त बरामद देशी कट्टा एवं कारतुस के संबंध में पकड़ाये व्यक्ति से वैध कागजात की मॉग किया तो पकड़ाये व्यक्तियों के द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किये और ना ही संतोषप्रदह जबाब दिये। तत्पश्चात् बरामद उक्त सभी सामान को जप्ती सूची के नियमों का पालन करते हुए उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष चार जप्ती सूची तैयार कर विधिवत जप्त किया गया, जिस पर दोनों जप्ती सूची के साक्षियों ने अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया तथा जप्ती सूची की एक–एक प्रति पकड़ाये चारों व्यक्तियों को हस्तगत कराते हुए उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना इनके परिजन को दिया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के द्वारा खारिज किये जाने के बाद आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक अभियुक्त का दो अपराधिक इतिहास है। आवेदक दिनांक–21.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। प्राथमिकी में आवेदक पर लगाया गया आरोप झुठा एवं निराधार है। प्रार्थी आवेदक को घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा वह घटनातिथि को जीविकोपार्जन के सिलसिले में दिल्ली में था। प्रार्थी के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक सक्षम जमानत बंध–पत्र देने को तैयार हैं तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के जमानत का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–सलमगीर उर्फ छोटु प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल से पकड़े गये प्राथमिकी के नामित चार अन्य सहअभियुक्तों, (जिनमें से एक सहअभियुक्त–दीपक पासवान की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन संख्या–44 / 2026 को दिनांक–08.04.2026 को पारित आदेश के द्वारा खारिज किया गया है) जिनके पास से क्रमशः एक लोहे का बना खाली देशी कट्टा, सिलवर रंग का टेकनो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल, नगद पैतीस सौ रुपया, एक जिंदा कारतुस, जिसके पेंदी पर 8MM KF अंकित, AWESOME ITEL कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल, नगद पच्चीस सौ रुपया, गोल्डेन रंग का विभो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल, पन्द्रह सौ रुपया नगद, बरामद किया गया है, के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाने एवं पुलिस को देखकर घटनास्थल से

लगातार / –

<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>जमानत आवेदन संख्या–92/2026</u>
<u>शिवहर थाना कांड संख्या–102/2026.</u>
सरकार बनाम् सलमगीर उर्फ छोटु
अंतर्गत धारा–310(4), 310(5) of BNS, & 25 (1-B), a, 26, 35 Arms Act,
<u>सी.एन.आर.नं0–BRS0010014452026</u>

<u>दिनांक–09.07.2026</u> –3–

फरार हो जाने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कंडिका–02. पर तलाशी सह जप्ती सूची का उल्लेख है। वाद दैनिकी की कंडिका–07. पर वादी का पुनः बयान है। कंडिका–17, 18, 19 पर साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–33. में घटनास्थल से प्राथमिकी के नामित अन्य सहअभियुक्तों के पास से बरामद आग्नेयास्त्रों को कारगर पाये जाने का तथ्य अंकित है। वाद दैनिकी की कंडिका–75. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व इस कांड के अलावे पूर्व से तीन अन्य अपराधिक मामले–01. शिवहर थाना कांड संख्या–28/2026, दिनांक–30.01.2026, धारा–310(2) बी0एन0एस0 में अप्राथमिकी अभियुक्त, 02. पिपराही थाना कांड संख्या–60/2022, दिनांक–13.03.2022, धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 03. तरियानी थाना कांड संख्या–79/2016, धारा–324, 307, 387, 341 भा0द0वि0 के तहत दर्ज है, जबकि आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन के कंडिका–03. में यह तथ्य अंकित है कि–प्रार्थी आवेदक के विरूद्व दो अपराधिक इतिहास दर्ज है। इस प्रकार इस आवेदक अभियुक्त के द्वारा अपने पूर्व के अपराधिक इतिहास को न्यायालय से छिपाने का प्रयास किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका–82. पर वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त सहित घटना स्थल से पकड़े गये चार अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–580101626010201, दिनांक–05.05.2026, धारा–**310(4), 310(5) of BNS, & 25 (1-B), a, 26, 35 Arms Act,** में समर्पित किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–21.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त के पूर्व के अपराधिक इतिहास एवं उसे न्यायालय से छिपाने के प्रयास करने एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अभी जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वर्तमान में आवेदक अभियुक्त–सलमगीर उर्फ छोटु की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
09.07.2026